17/09/2000

मानवीय शिक्षा शोध संस्थान

original given to Mishraji on- 8-8-02

500 Rs

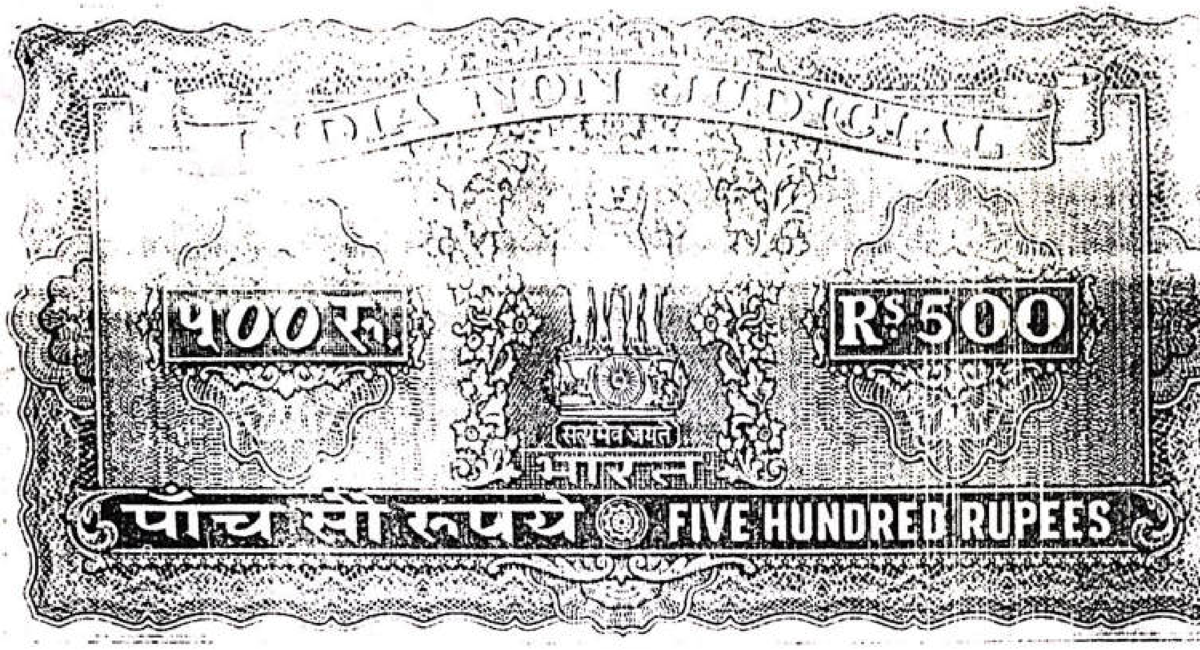

मानवीय शिक्षा शोध संस्थान न्यास विलेख

अश्विन कृष्ण चतुर्थी वि.सं. 2057 रविवार, 17 सितम्बर 2000 के 'मानवीय शिक्षा शोध संस्थान न्यास' की स्थापना की गई है । संस्थापक न्यासियों की सर्वानुमति से इस विलेख द्वारा मैं शारदा शर्मा सुपुत्री श्री ए. नागराज शर्मा, श्री भजनाश्रम, अमरकंटक जिला - शहडोल (म.प्र.) 484886 अवस्थापक न्यासी (SETTLOR TRUSTEE) के रूप में 'मानवीय शिक्षा शोध संस्थान न्यास' का प्रारंभ कर रही हूं ।

इस न्यास की स्थापना हेतु प्रारंभिक सहायता स्वरूप रूपये 5,000.00 (अक्षरी पांच हजार रूपये) मात्र दिए हैं । यह राशि न्यास की संग्रहित निधि (ACCUMULATED FUND) मानी जायेगी ।

न्यास का विवरण निम्नलिखित है :-

1. **न्यास का नाम** - 'मानवीय शिक्षा शोध संस्थान न्यास'
2. **न्यास का पंजीकृत कार्यालय** - न्यास का पंजीकृत कार्यालय 'सौभाग्य वाटिका' ग्राम - उमरपोटी, पोस्ट व जिला दुर्ग - (छ.ग.) पिन रहेगा । आवश्यकता अनुसार संस्थापिका की सहमति से इसे परिवर्तित भी किया जा सकता है । प्रयोजन अनुसार इस न्यास के कार्यालय विभिन्न स्थानों पर भी खोले जायेंगे ।
3. **प्रेरणा स्त्रोत** - इस न्यास का दृष्टिकोण 'अस्तित्व मूलक मानव केन्द्रित चिन्तन ज्ञान है ।' जिसका प्रेरणा स्त्रोत

क्रमांक 2848 दिनांक 27.7.2001 मुद्रांक पत्र का मूल्य 500/-

विक्रेता का नाम मानवीय शिक्षा शोध संस्थान न्यास

साकिन अमरपेटी, दुर्ग जिला ~~रायपुर~~ दुर्ग (छत्तीसगढ़)

मार्फत ए.ए. [illegible] [illegible]

क्रेता का नाम ....

साकिन .... जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)

प्रयोजन अध्यक्ष [illegible] ....

हस्ताक्षर मुद्रांक पत्र क्रेता ....

(signature)

योगेश कुमार अग्रवाल
स्टाम्प वेंडर
[illegible], [illegible]
रायपुर (छत्तीसगढ़)
☎ : 539442

TREASURY OFFICER,
Raipur (Chhattisgarh)

XXII – 269
Try.

FORM M. P. T. C. 7
(See Subsidiary Rule 69)

चालान क्रमांक

खजाना/उप-खजाना/स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया/रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया में पैसा जमा करने का चालान

पैसा जमा करने वाले द्वारा लिखना चाहिए			विभागीय अधिकारी द्वारा लिखना चाहिए			
कोष शाखा	उसका नाम (या ओहदा) और पता जिसकी ओर से पैसा जमा किया जा रहा है	जिस मध्यद पैसा जमा किया जा रहा है, उसका पूरा विवरण	रकम (रुपये / पैसे)	लेखा शीर्ष	लेखा अधिकारी जिसने स्वीकार किया	बैंक को आदेश
1	2	3	4	5	6	7
नाम / हस्ताक्षर	पार्सल कृषक श्रीफल कश्यप सुरेश कन्या उमरा ठाकुर लिख रहा उर्फ ग्राम	दुरुस्त रजिस्ट्री हेतु	50=10	0075 इन्स रजिस्ट्री ...ए मिसलेनियस		दिनांक 11/2/2001 ... तक जमा करें और रसीद दें (कुछ पूर्व...)
		कुल–	50=10			

(शब्दों में) रुपये 50 — केवल बैंक या विभाग के अधिकारी अथवा कोषालयाधिकारी द्वारा प्रेषक के मामले में उपयोग किये जाने हेतु

रुपये पचास रुपया मात्र

शब्दों में भुगतान प्राप्त किया।

खजान्ची — पपक — दिनांक — कोषालयाधिकारी / एजेंट

मध्यस्थ दर्शन, सह-अस्तित्ववाद और दर्शन है । इसके प्रेरणा - श्रद्धेय श्री ए.नागराज, अमरकंटक, जिला - शहडोल (म.प्र.) है ।

4. लक्ष्य -

1. मध्यस्थ दर्शन, सह अस्तित्ववाद और शास्त्रों का अध्ययन एवं शोध करना ।
2. मानव के सभी आयाम, कोण, शिक्षा परिप्रेक्ष्यों में मानवीयता को स्थापित करना ।
3. मानव में सर्वतोन्मुखी समाधान और स्वानुशासन को प्रमाणित करना ।
4. परिवार स्तर पर बौद्धिक समाधान तथा भौतिक समृद्धि को न्यायपूर्ण व्यवहार और नियम पूर्ण व्यवसाय से प्रभावित करना ।
5. ग्राम, मोहल्लों एवं नगरों में 'परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था' को साकार करना ।
6. राष्ट्र स्तर पर मानवीय सभ्यता एवं संस्कृति तथा विधि एवं व्यवस्था के अर्थ में मानवीय शिक्षा-संस्कार, मानवीय आचरण संहिता रूपी संविधान एवं व्यवस्था को साकार करना ।
7. विश्व में समाधान, समृद्धि, अभय एवं सह-अस्तित्व के अर्थ में अखण्ड समाज एवं सार्वभौम व्यवस्था में भागीदार होना ।
8. प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिये आवर्तनशील विधि से प्राकृतिक सम्पदा की सुरक्षा, उपयोग एवं सदुपयोग करना तथा करने की प्रेरणा देना ।
9. मध्यस्थ दर्शन (सह अस्तित्ववाद) के प्रकाश में विवेक सम्मत विज्ञान व प्रौद्योगिकी के विकास के लिए शोध अनुसंधान एवं प्रयोग करना ।

5. कार्यक्रम -

1. स्वयं में मानवत्व सहित व्यवस्था तथा समग्र व्यवस्था (परिवारमूलक स्वराज्य व्यवस्था) में भागीदारी को प्रमाणित करना ।
2. प्रशिक्षण शिविरों तथा अध्ययन गोष्ठियों के द्वारा जीवन विद्या का लोक व्यापीकरण करना ।
3. मानवीय शिक्षा के लिये विद्यालय को स्थापित व संचालित करना । शिक्षा का मानवीयकरण करने के लिये विद्वत गोष्ठियों एवं कार्यशालाओं का आयोजन करना प्रचलित शिक्षण संस्थाओं में मानवीय शिक्षा का समावेश कराने के लिये मिलकर कार्य करना । आवश्यकतानुसार मानवीय शिक्षा, पद्धति, प्रणाली एवं नीतियों से सम्पन्न जीवन विद्या प्रतिष्ठानों, शिक्षण संस्थाओं और विश्वविद्यालयों की स्थापना करना ।
4. जीवन विद्या के प्रकाश में मानवीय आचरण तथा जीने की कला को विकसित करके ग्रामों, मोहल्लों एवं नगरों में शिक्षा-संस्कार योजना एवं स्वास्थ्य संयम

Dharmy

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

योजना के माध्यम से न्याय सुलभता, उत्पादन सुलभता एवं विनिमय सुलभता को साकार करने के लिये 'परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था' को साकार करना ।

5. स्वास्थ्य संरक्षण केन्द्रों को स्थापित करना एवं उनको संचालित करना ।

6. कृषि, कुटीर-उद्योग, ग्रामोद्योग, लघु उद्योग आदि के माध्यम से सामान्याकांक्षा व महत्वाकांक्षा के लिये आवश्यकीय वस्तुओं का नियम पूर्ण पद्धति से उत्पादन करना और मानवीयता पूर्ण पद्धति (अवर्तनशील विधि) से विनिमय करना । जिसके लिये विभिन्न उत्पादन तथा विनिमय केन्द्रों को स्थापित व संचालित करना (सामान्य आकांक्षा, आहार, आवास, अहंकार, महत्वाकांक्षा, दुर्गमन, दूरदर्शन व दूरदर्शन उपकरण से है) ।

7. उत्पादन को उपयोगी, सदुपयोगी और प्रयोजनशील बनाना एवं सुरक्षा करना । उत्पादन एवं विनिमय के लिये भागीदारी विधि से आवश्यक सहायता एवं प्रबंध करना ।

8. न्यास के सम्पूर्ण लक्ष्यों और कार्यक्रमों को लोकव्यापीकरण करने के क्रम में प्रबंध निबंध, पत्र-पत्रिकाएं, श्रव्य-दृश्य सामग्री इत्यादि साधनों को तैयार करना । इस सामग्री का उचित भंडारण, उपयोग व सदुपयोग करना ।

9. शिविरों, सम्मेलनों, खेलों तथा अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमों का आयोजन करना तथा अन्य ऐसे कार्यक्रमों में भागीदारी होना जिनका उद्देश्य 'मानवीय शिक्षा शोध संस्थान न्यास' के अनुरूप हो ।

6. **कार्यक्षेत्र -**

इसी नाम और लक्ष्य को लेकर यह न्यास सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में कार्य करेगा ।

7. **न्यासीगण -**

1. **संस्थापक न्यासी** - न्यास का मूल दायित्व संस्थापक न्यासियों में समाहित रहेगा । इस न्यास के निम्नलिखित तीन न्यासकर्ता (जो न्यास की स्थापना कर रहे हैं) संस्थापक न्यासी होंगे ।

क्र.सं.	नाम, आत्मज / पति	आयु	व्यवसाय	पता
1.	सुश्री शारदा शर्मा आत्मजा श्री ए.नागराज शर्मा	43 वर्ष	चिकित्सा	श्री भजनाश्रम, अमरकंटक, जिला - शहडोल (म.प्र.) पिन 484 886
2.	श्रीमती लिली मिश्रा पति श्री नरेन्द्र मिश्रा			सोभाग्य सदन, श्वेताम्बर जैन मंदिर के सामने, वैशालीनगर भिलाई, जिला - दुर्ग पिन - 490 023

Sharma

...4

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

क्र.सं.	नाम, आत्मज / पति	आयु	व्यवसाय	पता
3.	श्री साधन कुमार भट्टाचार्य पिता श्री चितरंजन भट्टाचार्य	35 वर्ष	कृषि	श्री भजनाश्रम, अमरकंटक जिला - शहडोल (म.प्र.) पिन - 484 886

समस्त संस्थापक न्यासियों को सम्मिलित रूप से संस्थापिका (संस्थापक न्यासी सभा) से इंगित किया जायेगा । संस्थापिका के सदस्यों की संख्या तीन से पांच तक हो सकती है । नये संस्थापक न्यासी का मनोनयन तत्कालीन संस्थापिका सर्वानुमति से करेगी ।

II. संरक्षक न्यासी - न्यास के संरक्षण, पोषण, प्रोत्साहन एवं मार्गदर्शन के लिये संरक्षक न्यासी रहेंगे । संरक्षक न्यासियों की संख्या अधिकतम छः होगी । समस्त संरक्षक न्यासियों को सम्मिलित रूप से संरक्षिका (संरक्षक न्यासी सभा) कहा जायेगा । संरक्षिका के सदस्य व्यवस्थापिका में नहीं रहेंगे । संरक्षिका के नये सदस्य का मनोनयन तत्कालीन संरक्षिका एवं संस्थापिका की सर्वानुमति से होगा । न्यास के निम्न संरक्षक न्यासी होंगे -

1. श्री ए.नागराज शर्मा	श्री भजनाश्रम, अमरकंटक, जिला - शहडोल (म.प्र.) पिन - 484 886
2. श्री राजन शर्मा	गायत्री शक्तिपीठ, नंदिनी नगर, जिला - दुर्ग (छ.ग.) पिन - 484 886
3. श्री रणसिंह आर्य	जीवन विद्या प्रतिष्ठान, गोविंदपुर, जिला - बिजनौर पोष्ट - रवारी (झालू) उत्तर प्रदेश, पिन - 246 728
4. श्री नरेन्द्र मिश्रा	सौभाग्य सदन, श्वेताम्बर जैन मंदिर के सामने, वैशालीनगर, भिलाई, पोष्ट - सुपेला, जिला - दुर्ग (छ.ग.) पिन - 490 023
5. श्री अरूण चंद्र साहनी	एम.आई.जी. - सी/188, वैशालीनगर, भिलाई जिला - दुर्ग (छ.ग.) पिन -490 023
6. श्री बी.एल. श्रीवास्तव	माहूरबंद पारा, सिविल लाइन्स, कांकेर 490

सदस्य न्यासी - संस्थापिका न्यास के लक्ष्य एवं कार्यक्रमों में निष्ठा रखने वाले एवं उनको सफल बनाने के लिये प्रतिबद्ध विश्वसनीय व्यक्तियों को सदस्य न्यासी मनोनीत करेगी । इन्हें न्यासी कहा जायेगा । समय-समय पर आवश्यकतानुसार इन सदस्यों में परिवर्तन होता रहेगा । सदस्य न्यासियों की संख्या पांच से कम तथा ग्यारह से अधिक नहीं होगी । इनका कार्यकाल तीन वर्ष के लिये होगा । तीन वर्ष बाद मूल्यांकन के आधार पर पुनः चयन किया जा सकता है । परिवर्तन या चयन करने का अधिकार संस्थापिका में रहेगा ।

8. **न्यास परिवार सभा** - न्यास का समस्त प्रबंध, नियंत्रण एवं सभी प्रकार की सम्पत्ति न्यास परिवार सभा में समाहित होगी । तीनों प्रकार के न्यासियों (संस्थापक न्यासियों, संरक्षक न्यासियों एवं सदस्य न्यासियों) को सम्मिलित रूप में 'न्यास परिवार सभा' कहा जायेगा ।

Sharma.y.

...5

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

न्यास परिवार सभा की वर्ष में कम से कम एक बैठक अवश्य होगी । प्रयोजनानुसार बैठक में अतिथियों को भी आमंत्रित किया जा सकता है ।

9. **न्यास परिवार सभा का दायित्व -**

1. इस न्यास का सारा कार्यभार न्यासियों के ऊपर रहेगा एवं उनके द्वारा ही व्यवस्था होगी ।
2. न्यासीगण स्वयं अपनी कार्य प्रणाली निर्धारित करेंगे । न्यास का कार्य व्यवस्थित रूप से चलाने के लिये नियम, उपनियम बनायेंगे, उनमें संशोधन कर सकेंगे, रद्द कर सकेंगे, उनके स्थान पर नये बना सकेंगे, निर्णय कर सकेंगे तथा पंजीकरण अथवा अन्य आवश्यक कार्यवाही समय-समय पर आवश्यकतानुसार कर सकेंगे ।
3. ऐसे सभी कार्य करना जो इस न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये वह इस न्यास के स्थायित्व के लिये व हित के लिये आवश्यक हो व लाभदायक हो या इस न्यास पत्र द्वारा अपेक्षित हो ।
4. न्यास कार्यों को संपादित करने के लिये व्यवस्थापिका का गठन करना ।

10. व्यवस्थापिका (व्यवस्थापक न्यासी सभा) - संस्थापिका, न्यास के लक्ष्यों एवं कार्यक्रमों को साकार करने के लिये न्यास परिवार सभा में से व्यवस्थापिका का गठन करेगी । गठन के लिये संरक्षिका से परामर्श सहित सहमति को प्राप्त किया जायेगा । व्यवस्थापिका का कार्यकाल दो वर्ष का होगा । दो वर्ष बाद मूल्यांकन के आधार पर पुर्नगठन किया जायेगा । व्यवस्थापिका की वर्ष में कम से कम चार बैठक अवश्य होगी । आवश्यकतानुसार चार से अधिक भी बैठक बुलायी जा सकती है ।

प्रधान-एक, उपप्रधान-एक, संयोजक-एक, सहसंयोजक-एक, कोष संचालक-एक, सदस्य-दो ।

प्रधान -

1. न्यास के सम्पूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति के लिये कार्यक्रमों को सफल बनाने में पूर्णतया दायित्व को वहन करना ।
2. प्रत्येक वर्ष संयोजक द्वारा न्यास परिवार सभा की बैठक बुलवाना जिसमें पूरे वर्ष के कार्यक्रम को न्यासियों की सहमति से निश्चित करवाना, जिसमें समस्त योजना, साधन और कार्य नीति स्पष्ट होगी ।
3. यदि न्यासीगण आवश्यक समझते हों या विशेष परिस्थिति में वर्ष के बीच में भी न्यास परिवार सभा की बैठक बुलवाना ।

...6

Sharma

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

4. संयोजक की सहमति से सभी समितियों - उपसमितियों का गठन करना, सदस्यों को मनोनीत करना एवं उनके कार्यक्रमों को निश्चित करना ।

5. कार्य समितियों के निरीक्षण-परीक्षण एवं मूल्यांकन करने का सर्वोपरि अधिकार प्रधान में समाहित रहेगा ।

6. संयोजक द्वारा व्यवस्थापिका की बैठक बुलवाना एवं उसकी अध्यक्षता करना ।

7. परिवार सभा में मूल्यों और मूल्यांकन विधि से परस्पर न्यास सुलभता को प्रमाणित करना ।

उपप्रधान -

1. प्रधानके कार्य में सहयोग करना ।

2. प्रधान की अनुपस्थिति में उनके द्वारा सभी अधिकारों, कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों का निर्वाह करना ।

संयोजक -

1. न्यास के सम्पूर्ण उद्‌देश्यों के अनुरूप योजनाओं को सफल बनाने के क्रम में अपने अधिकार का प्रयोग करना । सम्पूर्ण सम्पर्कों तथा संबंधों की जिम्मेदारी का निर्वाह करना ।

2. न्यास परिवार सभा द्वारा स्वीकृत न्यास के उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिये समस्त कार्यक्रमों को साकार रूप देने का प्रबन्ध करना ।

3. प्रधान के परामर्श से न्यास परिवार सभा एवं व्यवस्थापिका की बैठक बुलाना ।

4. सम्पूर्ण योजनाओं को तैयार कर प्रधान की अनुमति से उसे कार्य समितियों को सौंपना क्रियान्वयन के सभी पक्षों का निरीक्षण, परीक्षण एवं मूल्यांकन करना । संयोजक के द्वारा किये गये मूल्यांकन को प्रधान की सहमति पाना आवश्यक रहेगा ।

5. समस्त न्यास परिवार सभा व्यवस्थापिका तथा समितियों की आचार संहिता को तैयार करना और न्यास परिवार सभा में सहमति प्राप्त करना । इस कार्य में प्रधान स्वयं भी प्रेरणा स्त्रोत बना रहेगा ।

6. आर्थिक संयोजनों को सुव्यवस्थित करना । संयोजक एवं कोष संचालक के नाम से बैंक इत्यादि में सम्मिलित खाता रखा जायेगा ।

Sharma

...7

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

7. न्यास का (न्यास परिवार सभा व्यवस्थापिका एवं न्यास कार्य संचालन समितियों का) वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करना ।

सहसंयोजक -

1. संयोजक की सभी कार्यों में सहायता करना ।

2. कार्य समितियों के कार्य में सामंजस्य बनाये रखने का कार्य करना ।

3. संयोजक की अनुपस्थिति में उनके द्वारा प्रदत्त सभी कार्यों एवं अधिकारों का निर्वाह करना ।

कोष संचालक -

1. कोष संबंधी सभी कागजात रखना । आय-व्यय सम्बन्धी पत्रों को संकलित कर रखना ।

2. संयोजक की अनुशंसा के अनुसार व्यय करना ।

3. 10,000.00 रूपये (अक्षरी दस हजार रूपये) तक कोष संचालक अपने पास कैश रख सकेगा । उससे अधिक राशि को रखने के लिये संयोजक की सहमति आवश्यक होगी । शेष राशि बैंक इत्यादि में जमा करायेगा ।

4. आय के स्त्रोत को यथावत जमा रखने के लिये संयोजक एवं कोष संचालक का सम्मिलित खाता बैंक इत्यादि में रहेगा ।

5. कोष संचालक जब कभी कार्य स्थली में न रह सके तो उसे संयोजक की सहमति से किसी न्यासी या कार्य समिति के कार्यकर्ता को कोष संचालन का कार्य सौंपने का अधिकार रहेगा ।

व्यवस्थापिका का दायित्व -

1. मानवीयता पूर्ण परिवार व्यवस्था को बनाये रखना ।

2. न्यास की स्थायी, अस्थायी व अन्य सम्पत्तियों को सुरक्षित रखना व उसकी व्यवस्था करना ।

3. न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये व्यवस्था करना । न्यास की आय का न्यास के उद्देश्यों के लिये उपयोग करना व न्यास के अंतर्गत चल रहे सभी कार्यों की कार्य

...8

पद्धति निर्धारित करना, संचालित करना और मूल्यांकन करना ।

4. न्यास की समस्त सम्पत्ति तथा आय-व्यय का हिसाब रखना । न्यास के समस्त आवश्यक बहीखाते, कागजात अभिलेख इत्यादि को सम्भाल कर रखना ।

5. न्यास का वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करके सभी न्यासियों को भेजना ।

12. न्यास की कार्य प्रणाली -

1. न्यास मानवीय परिवार के स्वरूप में कार्य करेगा । सभी न्यासी एक दूसरे के साथ निश्चित संबंध की पहचान एवं उनमें निहित मूल्यों का निर्वाह करेंगे । जिसका आधार स्वयं में विश्वास एवं परस्पर श्रेष्ठता का सम्मान करना रहेगा । सभी निर्णय परस्पर मूल्यों और मूल्यांकन के आधार पर किये जायेंगे । अनिर्णय की स्थिति में संस्थापक न्यासियों का निर्णय मान्य होगा । यदि संस्थापक न्यासी भी निर्णय न कर पाये, पू. श्री.ए. नागराज जी (अमरकंटक) का निर्णय स्वीकार्य होगा ।

2. न्यास की ओर से न्यासियों को कोई वेतन नहीं दिया जायेगा न्यास कार्यों के लिये विधि सम्मत व्यय न्यास द्वारा देय होंगे ।

3. आवश्यकता एवं योग्यतानुसार कोई भी न्यासी सर्वकालिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर सकेगा । ऐसा न्यासी व्यवहार में सामाजिक और व्यवसाय में स्वावलम्बी रहेगा । सभी सर्वकालिक कार्यकर्ताओं की भांति वह भी उत्पादन कार्य में अपनी भागीदारी का निर्वाह करेगा ।

4. समर्पित रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति जो न्यासी हों या न्यासी न हो, को परिवार के एक सदस्य के रूप में, मूल्यांकित एवं निर्वाह किया जायेगा । इनके आहार, आवास, वस्त्र संबंधी वस्तुओं को उपलब्ध कराया जायेगा ।

5. न्यास की समस्त सम्पत्ति न्यास के उद्देश्यां की पूर्ति हेतु उपयोग और प्रबंधन की जायेगी । आवश्यकतानुसार कार्य एवं स्थायी सम्पत्ति क्रय करने में भी व्यय किया जायेगा ।

6. न्यास के उद्देश्यों को न्यास की आय से पूरा किया जायेगा । सहयोगी संस्थाओं एवं व्यक्तियों से भी पूर्ति की जा सकेगी ।

7. यदि किसी का त्याग पत्र स्वीकार हो जाये अथवा किसी को पदच्युत कर दिया जाये या मृत्यु हो जाये तो उसके स्थान पर किसी नए योग्य व्यक्ति की नियुक्ति कर एक

...9

Sharma

वर्ष के अन्दर कर ली जायेगी । दिवालियापन, पागलपन एवं निष्क्रियता की स्थिति में किसी भी सदस्य को पदच्युत किया जा सकता है । निष्क्रियता का तात्पर्य न्यास के कार्यक्रमों में रूचि न लेना, बिना उचित कारणों के लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहना है । इसके अतिरिक्त किसी भी कारण से न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति में बाधक व्यक्ति को न्यास से निकाल दिया जावेगा । पदच्युत या न्यास से निकालने का निर्णय संस्थापिका करेगी । इसके लिये संरक्षिका से परामर्श किया जायेगा ।

8. सभी गठनसामान्यतः कार्तिक मास में पूर्णिमा तक पूरे किये जायेंगे ।

9. न्यास के महत्वपूर्ण निर्णयों को कार्यवाही पंजिका में लिखा जायेगा ।

10. न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न प्रतिष्ठान, केन्द्र, समितियां, उपसमितियां स्थापित की जायेगी तथा समान / पूरक उद्देश्यों वाली अन्य संस्थाओं से मिलकर भी कार्य किया जा सकेगा ।

13. **न्यास की सम्पत्ति -**

1. न्यास की समस्त चराचर सम्पत्ति न्यास परिवार सभा में निहित रहेगी ।

2. उपरोक्त लक्ष्य प्राप्ति के लिये कोष रहेगा ।

3. न्यास को प्राप्त पारितोष, पुरस्कार और प्रतिफल (उत्पादन एवं सेवा से प्राप्त) न्यास की सम्पत्ति मानी जायेगी ।

4. उपरोक्त रूपये 5,000.00 (अक्षरी पांच हजार रूपये) न्यास की संग्रहित निधि (क्राप्स फण्ड) मानी जायेगी । यह राशि प्रारंभिक सहायता स्वरूप है ।

5. किराया, ब्याज, डिविडेंड आदि उत्पन्न करने के लिये स्थायी कोष व दूसरी रकमों को आयकर विभाग के नियमानुसार ऐसे मदों में लगाया जायेगा जिनके लिये न्यास एक्ट व आय कर नियमों के प्रावधानों हो अथवा बैंकों में जमा रहेगा ।

6. न्यास को आयकर अधिनियम 1961 की धारा (सेक्शन) 12 के अंतर्गत टैक्स माफी के लिये रजिस्टर्ड करवाया जायेगा ।

7. आयकर अधिनियम 1961 की धारा (सेक्शन) 11 व 13 की शर्तों का पालनकिया जायेगा ।

Sharma

...10

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

8. न्यास का धन आय कर अधिनियम के अंतर्गत नियमानुसार ही लगाया जाये ।

14. **हिसाब व अंकेक्षण -**

1. न्यास की सम्पत्ति, आमदनी, खर्च व लेन-देन का हिसाब रखा जायेगा । आय व्यय का लेखा-जोखा प्रतिवर्ष । अप्रैल से प्रारम्भ होगा ।

2. आर्थिक हिसाब व खर्च का अंकेक्षण संस्थापिका करेगी । जिसकी स्वीकृति चार्टर्ड एकाऊटेंट (सी.ए.) से करायी जायेगी ।

3. प्रतिवर्ष आय-व्यय संबंधी प्रतिवेदन तैयार किया जायेगा । जिसको प्रत्येक न्यासियों के लिये सुलभ कराया जायेगा ।

15. **न्यास भंग -**

यदि कभी न्यास को भंग करने जैसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाये तो उसके समस्त लेन - देन व निबटारे के बाद जो कुछ सम्पत्ति बकाया रहे व यह सम्पत्ति किसी अन्य न्यास, जो समाज उद्देश्य और कार्यक्रमों से सम्पन्न रहते हैं, को दी जायेगी । इस प्रकार का निश्चित न्यासियों द्वारा सर्वानुमति से या कम से कम दो तिहाई न्यासियों के द्वारा किया जाएगा । मगर न्यास की कोई सम्पत्ति न्यासकर्ता के निजी काम में नहीं दी जायेगी ।

16. **उपसंहार -**

1. न्यासियों द्वारा विवेक व ध्यान पूर्वक किए गए काम पर भी यदि न्यास का कोई नुकसान हो जाये तो उसे न्यास भुगतेगा और किसी ऐसी स्थिति में कोई न्यासी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नहीं होगा ।

2. यदि ऐसी स्थिति पैदा हो जाये कि इस घोषणा में संशोधन किए बिना न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति करना सम्भव न हो तो न्यासीगण इसमें संशोधन कर सकेंगे । जिसमें न्यास का नाम बदलने तक समाहित रहेगा ।

उपरोक्त घोषणा मैंने राजी खुशी, अकल, होशियारी, होश हवाश, दुरूस्ती की हालत में की है जिसको हमने, पढ़, सुन व समझकर व स्वीकार कर हस्ताक्षर किये हैं । यह न्यास विलेख पर एक तरफ लिखा गया है ।

...11

Sharma

मैं उपरोक्त न्यास का अवस्थापक न्यासी होना स्वीकार करती हूँ एवं मैं इस न्यास विलेख द्वारा इस न्यास को पंजीकृत कराने का उत्तरदायित्व स्वीकार करते हुए 27.7.2001 को इस न्यास विलेख पर दो साक्षियों के सामने हस्ताक्षर करती हूँ ।

Sharma

हस्ताक्षर (अवस्थापक न्यासी)

हस्ताक्षर साक्षीगण -

(1) हस्ताक्षर ....

नाम ....अंजनी कुमार....

आत्मज श्री माधोहरी.....

पता ..269 समता कालोनी

.....रायपुर.........

(2) हस्ताक्षर ....

नाम ..दुधराम अग्रवाल

आत्मज श्री कृष्ण लाल अग्रवाल

पता ..14 नार्थ एवेन्यू चौबे कालोनी

......रायपुर (छत्तीसगढ़)